

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/राज/सी/व्या/67/07/2054

भोपाल,दिनांक 10/3/07


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याताओं के स्वेच्छिक स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में स्वयं के व्यय पर किया जाता है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे हैं अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।।

स.क	नाम एवं पदनाम	विषय	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री गरुण प्रताप सिंह	भौतिक	शास.उ.मा.वि.गौरैया जिला सतना	शास.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि.सतना
2.	श्रीमती आशा पाराशर	हिन्दी	शास.उ.मा.वि.जीवाजीगज उज्जैन	शास.बालक उ.मा.वि.क.2 नीमच
3.	श्री राजेश्वर प्रसाद यादव	गणित	शास.हाईस्कूल सिलवानी रायसेन	शास.उ.मा.वि.सांची रायसेन
4.	श्री विनय कुमार देशपांडे	गणित	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर	शास.सुभाष उ.मा.वि. इन्दौर
5.	श्रीमती ज्योति शिधये	गणित	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.बाल.वि. मंदिर इन्दौर	शास.संयोगितागंज बालक उ.मा.वि.इन्दौर

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.2/राज/सी/व्या/67/07/2055


भोपाल,दिनांक 10/3/07

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक,मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा,म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला सतना/उज्जैन/नीमच/रायसेन/शाजापुर/इन्दौर म.प्र.
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा/उज्जैन/भोपाल/इन्दौर म.प्र.
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना/उज्जैन/नीमच/रायसेन/शाजापुर/इन्दौर म.प्र.
7. जिला शिक्षा अधिकारी सतना/उज्जैन/नीमच/रायसेन/शाजापुर/इन्दौर की ओर अप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले की स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विद्यमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत

जानकारी प्रकाश में आती हैं तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

8. संबंधित संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधितों की ओर सूचनार्थ ।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश